

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/ संस्था/ बी-1/ 45001/2015 दिनांक 29.09.2015 द्वारा मावि से उमावि में क्रमोन्नति के कारण /दोहरे/अधिशेष प्रधानाध्यापकों का समायोजन आदेश जारी किये गये थे । उक्त आदेश के अंतिम पैरा में शर्त अंकित की गई थी कि " संबंधित अधिशेष कार्मिक(प्र.अ.) विद्यालय में प्रधानाचार्य के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् ही नवीन पदस्थापन स्थान के लिए संबंधित प्रधानाचार्य से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे । अधिशेष कार्मिक द्वारा विद्यालय के किसी भी व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक को कार्यभार सुपुर्द कर कार्यमुक्त होने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा , इन्हे नवपदस्थापित प्रधानाचार्य द्वारा ही कार्यमुक्त किया जाना आवश्यक होगा । "

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 16026/15 श्री अतरसिंह व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2015 की अनुपालना में उपरोक्त उल्लेखित आदेश में क.सं. 10 (अतर सिंह, प्रअ, छरी प्रतापगढ), क.सं. 11 (धीरज कुमार प्रअ चौकी टामटिया प्रतापगढ), क.सं. 14 (बृज मोहन लाल मीणा, प्रअ, ढेंचला प्रतापगढ), क.सं. 22 (रामलाल मीणा, प्रअ कचोटिया प्रतापगढ), क.सं. 29 (शीशराम गुर्जर, प्रअ, मधुरा तालाब प्रतापगढ), क.सं. 42 (जितेन्द्र कुमार बालोदिया, प्रअ पृथ्वीपुरा प्रतापगढ), क.सं. 44 (भूपेन्द्र सिंह, प्रअ पिपलिया प्रतापगढ), क.सं. 49 (सुरेश चन्द्र कसाना, सियाखेडी प्रतापगढ) पर उल्लेखित प्रधानाध्यापकों की हद तक उपरोक्त उल्लेखित कार्यमुक्ति शर्त प्रत्याहरित किया जाता है ।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी ।



(बी.एल.स्वर्णकार)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक- 15/07/2016

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/बी-1/याचिका सं0 16026/77/15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत -

1. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी विधि जयपुर
4. संबंधित संस्थाप्रधान
5. संबंधित प्रधानाध्यापक(याचिकार्थी)
6. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर